Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत – अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर (राज.)

विजय सिंह बनाम अजय सिंह व अन्य

किस्म मुकदमा – दीवानी वाद नम्बर 08 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16-08-023	वकुलाय पक्षकारान् उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत प्रार्थना अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 व्य प्र सं. दिनांकित 28.09.2022 का निस्तारण किया जा रहा है। बहस उभयपक्ष सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण लाडी देवी पत्नी स्व. श्री छोटू सिंह, गोग सिंह पुत्र स्व. श्री छोटू सिंह, शेतान सिंह पुत्र स्व. श्री छोटू सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री छोटू सिंह, मीरा देवी पुत्री स्व. छोटू सिंह व सीता देवी पुत्री स्व. श्री छोटू सिंह ने उक्त प्रार्थना-पत्र में मुख्यतः कथन किया गया है कि वादी ने उक्त उनवान का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि रामा के चार पुत्र थे हीरासिंह, कल्ला सिंह, छोटू सिंह व उगम सिंह जो सभी फौत हो चुके हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण स्व. श्री हीरासिंह के विधिक वारिसान है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित पुश्तैनी आवासीय सम्पत्ति ग्राम लाडपुरा तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जिसका थाला भूमि क्षेत्रफल 3000 वर्ग गज है, उक्त सम्पत्ति श्री रामा की होकर वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता हीरासिंह का एकमात्र हिस्सा ना होकर प्रार्थी सं. 1 के पति एवं प्रार्थी सं-2 से 6 तक के पिता स्व. श्री छोटू सिंह का भी उतना ही मालिकाना हक बनता है जितना वादी एवं प्रतिवादीगण अपना अधिकार रखते है। मृतक रामा के वारिसान का अपने पिता की सम्पत्ति में 1/4 हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आवासीय सम्पत्ति पर बाहैसियत मालिकाना हक रखते हैं। प्रार्थीगण वादग्रस्त सम्पत्ति के विधिक वारिसान होने के नाते इस वाद में आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थीगण को पक्षकार न बनाने से उनके हक हकूक एवं अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अत: प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण को प्रतिवादीगण बनाये जाने एवं वाद में भाग लेने की अनुमति प्रदान कराये जाने का निवेदन किया गया । उक्त का विरोध अप्रार्थी/वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश करते हुऐ किया गया है कि वर्णित आवासीय संपत्ति ग्राम लाडपुरा तहसील में जिला अजमेर में स्थित है जिसका थाला भूमि क्षेत्रफल लगभग 3,000 वर्ग गज सही है, एवं शेष कथन असत्य गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है क्योंकि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –2–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	कल्ला सिंह ने अपनी कृषि भूमि सन 1974 चारो भाईयो को एवं आवासीय संपत्ति में हिस्सा सन 1977 में वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तथा वादी के पिता के भाई छोटू सिंह व उगम सिंह अपने जीवन काल में ही ग्राम लाडपुरा में स्थित जमीन जायदाद सन 1977 में ही विक्रय कर छोटू सिंह, श्रीनगर में एवं उगम सिंह ग्राम बासेड़ी में निवास करने लग गए थे, अतः वाद पत्र के पैरा नंबर 3 में वर्णित संपत्ति में प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता का स्वर्गवास होने पर दिनांक 10.01.1992 को उनकी गंगा प्रसादी वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा की जा रही थी तथा श्री कल्ला सिंह का पूर्व में स्वर्गवास हो चुका था उनके वारिसान ने उनके पिता की गंगा प्रसादी भी साथ में करने का निवेदन किया तथा उगम सिंह व छोटू सिंह ने अपने जीवित रहते गंगा प्रसादी कराए जाने का वादी से निवेदन किया एवं राशि भी वादी द्वारा ही व्यय किए जाने का निवेदन किया तथा इस संबंध में उनके हिस्से में जो राशि आई उक्त बाबत वादी के पक्ष में एक तहरीर ग्राम वासियों की उपस्थिति में निष्पादित करा यह वायदा किया कि तहरीर में नियत अवधि में राशि की अदायगी वादी को कर देंगे एवं राशि की अदायगी नहीं कर पाते हैं तो वादी को अधिकार होगा कि छोटू सिंह की ग्राम श्रीनगर में स्थित संपत्ति एवं उगम सिंह की ग्राम बासेड़ी में स्थित संपत्ति को विक्रय कर वादी राशि वसूल कर सकेगा इससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता का वाद पत्र के पैरा नंबर 3 में वर्णित संपत्ति में कोई हक हिस्सा नहीं था एवं प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने अपना जो पता कथित किया है वह ग्राम श्रीनगर का है ना कि ग्राम लाडपुरा का। प्रार्थीगण का ना तो वादग्रस्त संपत्ति में कब्जा है और ना ही कोई हक हिस्सा निहित करता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ अपने पिता स्व. छोटू सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा प्रस्तुत किया है से भी स्पष्ट है कि उनके पिता का स्वर्गवास ग्राम लाडपुरा में ना होकर ग्राम श्रीनगर में हुआ था। वादग्रस्त संपत्ति वादी एवं प्रतिवादीगण की ही पुश्तैनी संपत्ति है प्रार्थीगण का उक्त संपत्ति में कोई हक हिस्सा नहीं है । वादग्रस्त संपत्ति में प्रार्थीगण का मात्र छोटू सिंह जी के विधिक वारिसान होने से कोई हक हिस्सा नहीं बनता है और ना ही प्रार्थीगण के पूर्वज श्री छोटू सिंह का कोई हक हिस्सा था एवं प्रार्थीगण ग्राम लाडपुरा के निवासी ना होकर ग्राम श्रीनगर के निवासी हैं एवं ग्राम श्रीनगर में ही प्रार्थीगण के पिता की संपत्ति है अतः प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई कुठाराघात नहीं होता है और ना ही वादग्रस्त संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई कब्जा एवं आधिपत्य प्रार्थीगण का है वादग्रस्त संपत्ति वादी एवं प्रतिवादी गण के पूर्व स्वर्गीय श्री हीरा सिंह जी की संपत्ति होने से उनके बंटवारे का वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –3–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	एवं प्रतिवादीगण का हक हिस्सा है अतः प्रार्थीगण वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं है। अतिरिक्त कथन मे कथन किया गया है कि वर्णित संपत्ति में वादी एवं प्रतिवादीगण की संपत्ति होने से वादी एवं प्रतिवादीगण का बराबर का हक हिस्सा होने बाबत प्रतिवादी नंबर 1 के अलावा अन्य प्रतिवादीगण ने राजीनामा वाद में प्रस्तुत किया है जो वाद पत्र में संलग्न है मात्र प्रतिवादी नंबर 1 वादी को वादग्रस्त संपत्ति में हिस्सा ना देने की नियत से असत्य आधारों पर छोटू सिंह के वारिसान से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराया है। अतः प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावें। प्रार्थीगण लाडी देवी पत्नी स्व. श्री छोटू सिंह, गोग सिंह पुत्र स्व. श्री छोटू सिंह, शेतान सिंह पुत्र स्व. श्री छोटू सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री छोटू सिंह, मीरा देवी पुत्री स्व. छोटू सिंह व सीता देवी पुत्री स्व. श्री छोटू सिंह द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से हस्तगत प्रकरण में स्वयं को बतौर प्रतिवादीगण संयोजित किये जाने की प्रार्थना की गई है तथा उनके अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन रहा है कि उक्त समस्त प्रार्थीगण छोटूसिंह के वारिसान है, छोटू सिंह रामा का पुत्र था व हीरासिंह का भाई है, जिसके कायम मुकामान की ओर से हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है तथा वादपत्र की चरण सं. 1 व 3 में वर्णित संपत्ति का बंटवारा चाहा है। जब कि उक्त संपत्ति में छोटूसिंह का भी हिस्सा था एवं उसके कायम मुकामान वाद में आवश्यक पक्षकार है। उक्त के विपरीत विद्वान वकील अप्रार्थी/वादी का कथन रहा है कि हस्तगत प्रकरण में मात्र आवासीय संपत्ति, जिसका विवरण वादपत्र की चरण सं. 3 में दिया गया है के विभाजन हेतु हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है, जो संपत्ति हीरासिंह की थी, रामा का उक्त संपत्ति से कोई लेना-देना नहीं था। प्रार्थीगण श्रीनगर में निवास करते है एवं विवादित संपत्ति में उनका कोई निवास भी नहीं है। छोटू सिंह द्वारा पूर्व में एक लिखित हस्तगत प्रकरण के वादी को दी थी, जिसमें उसके द्वारा स्वयं का बाड़ा हस्तगत प्रकरण के वादी को दिया गया था एवं जिस राशि के संबंध में लिखित लिखी गई थी। उसके अदा नहीं होने की सूरत में छोटू सिंह की संपत्ति में अंकित राशि लिये जाने का हवाला उक्त लिखित में था, प्रार्थीगण का हस्तगत प्रकरण की विवादित संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण व अप्रार्थी/वादी के कथनों के प्रकाश में हस्तगत वाद का अवलोकन किया गया तो वाद-पत्र की चरण सं. 1 में वादी ने सजरा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें रामा के चार पुत्र होना दर्शित है, जिन सभी की मृत्यु हो चुकी है, तथा हीरासिंह के विधिक वारिसान का हवाला है, रामा के किसी पुत्र के विधिक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –4–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	वारिसान का उक्त सजरे में हवाला नहीं दिया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा अपने वाद-पत्र की चरण सं. 1 में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त सजरे में वर्णित सभी ग्राम लाडपुरा, तहसील व जिला अजमेर के निवासी है, जिनमें से वादी के पिता व उसके भाईयों का स्वर्गवास हो चुका है एवं वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी जमीन जायदाद, बाड़ा, मकानात आदि ग्राम लाडपुरा में स्थित है, तथा पूर्वज भी ग्राम लाडपुरा के स्थाई निवासी थे। इसी प्रकार अपने वाद-पत्र की चरण सं. 2 में यह अंकित किया है कि वादी के पिता के भाई छोटूसिंह, उगमसिंह अपने-अपने हिस्से की जमीन जायदाद विक्रय कर उनके वारिसान ग्राम लाडपुरा से अन्यत्र निवास कर रहे हैं एव ग्राम लाडपुरा में उनके हक हिस्से की कोई जमीन जायदाद नहीं है। वाद-पत्र की चरण सं. 3 में वादी द्वारा वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आवासीय सम्पत्ति ग्राम लाडपुरा, तहसील व जिला अजमेर में स्थित होना अंकित कर उस संपत्ति का विवरण दिया गया है तथा उक्त संपत्ति को पुश्तैनी आवासीय सम्पत्ति बताया गया है। इसी प्रकार वादपत्र की चरण सं. 5 में वादी द्वारा यह उल्लेखित किया गया है कि वादी के पिता एंव प्रतिवादी नम्बर 4 के पति, प्रतिवादी नम्बर 1 से 3, 5 व 6 के पिता हीरासिंह जी का सन् 1991 में स्वर्गवास हुआ तब हीरासिंह की गंगा प्रसादी के साथ उनके छोटे भाईयों कल्ला सिंह, छोटूसिंह व उगम सिंह की गंगा प्रसादी हुई, शामिल में की गई उक्त गंगा प्रसादी का समस्त व्यय वादी द्वारा वहन किया गया तथा पिताजी के गंगा प्रसादी की व्यय राशि में से उनके हिस्से की राशि में से कुछ राशि ही प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने दी तथा कल्ला सिंह के पुत्र श्रवण सिंह ने उक्त गंगा प्रसादी का अपने हिस्से का खर्चा न देकर उसने अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1105 व 1109 स्थित ग्राम लाडपुरा वादी को जरिये पंजीकृत बेनामा विक्रय कर दी तथा छोटू सिंह व उगम सिंह के वारिसान ने गंगा प्रसादी की राशि नहीं देकर शामलाती बाड़े में उनके हिस्से को सुपुर्द कर राशि की भरपाई की इस प्रकार उक्त शामलाती आवासीय सम्पत्ति मात्र स्वर्गीय हीरासिंह जी के वारिसान के कब्जे एंव आधिपत्य में रही। अतः स्वयं वादी की ओर से प्रस्तुत वाद-पत्र में अंकित उक्त तथ्यों से ही प्रकरण में रामा के पुत्र छोटू सिंह के वारिसान, जिनके द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है आवश्यक पक्षकार होना प्रतीत होते है, क्योंकि वादपत्र में अंकित समस्त तथ्य साक्ष्य का विषय है, जिन्हें सभी पक्षों की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ही तय किया जा सकता है। वादग्रस्त संपत्ति जिसका उल्लेख वाद-पत्र की चरण सं. 3 में दिया गया है, जिसके संदर्भ में हस्तगत वाद में बंटवारा चाहा गया है, एक मात्र हीरासिंह की संपत्ति हों, ऐसा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –5–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नहीं है, तथा छोटू सिंह द्वारा कोई लिखित हीरासिंह को दी गई हों, कोई राशि उधार ली गई हों, उक्त राशि की उसके द्वारा अदायगी नहीं की गई हों एवं राशि अदायगी नहीं होने के चलते पैतृक संपत्ति का कोई हिस्सा व भाग हीरासिंह को प्राप्त हो गया हों, ये समस्त तथ्य भी साक्ष्य का विषय है, जिन्हें इस स्तर पर नहीं देखा जा सकता। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं वाद-पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर छोटू सिंह के वारिसान प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होना प्रतीत होते है, जिन्हें प्रकरण में संयोजित किया जाता है तो इससे किसी भी पक्ष पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा वरन प्रकरण के अन्तर्वलित समस्त विवाद बिन्दूओं का निस्तारण किया जा सकेंगा एवं वाद बाहुल्यता से भी बचा जा सकेंगा। उक्तानुसार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 व्य प्र सं. स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण लाडी देवी पत्नी स्व. श्री छोटू सिंह, गोग सिंह पुत्र स्व. श्री छोटू सिंह, शेतान सिंह पुत्र स्व. श्री छोटू सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री छोटू सिंह, मीरा देवी पुत्री स्व. छोटू सिंह व सीता देवी पुत्री स्व. श्री छोटू सिंह को क्रमशः प्रतिवादी सं. 7 लगायत 12 के रूप में संयोजित किया जाता है। वादी संशोधित वादपत्र पेश करें। पत्रावली वास्ते पेश होने संसोधित वादपत्र हेतु दि. ..... को पेश हों। अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –6–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए